

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष-2011

कार्यकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- राकेश यादव, कमिश्नर कार्यालय भोपाल

2-वर्तमान धारित पद :- सहायक वर्ग-3

3-वर्तमान वेतन :- 6910+ 1900 ग्रेड पे

अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- 1 जुलाई 2011

उस जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खग्रेट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य मूल्य भवन	भूमि	वर्तमान				
सुसनेर जिला शाजापुर	मकान पैतृक 1500 वर्गफिट पर बना डुप्लेक्स	-	15,00000/-	माताजी के नाम पर	स्वर्गीय पिता (इंजीनियर)की मृत्यु उपरांत वर्ष 2001 में उनके स्वर्तों के भुगतान से बनाया गया।	30,000/-	
खुजनेर जिला राजगढ़	कृषि भूमि	लगभग 10 बीघा	3,00000/- (अपने हिस्से का मूल्य)	पिता एवं अन्य के संयुक्त नाम से	पैतृक	20,000/-	
भोपाल जे.के.रोड ग्राम कोलुआकलां	मकान 600 वर्गफिट	-	7,00000/-	संयुक्त नाम से	(बैंक से ऋण द्वारा)	-	
देवरी जिला रायसेन	प्लॉट 2178 वर्गफिट	-	3,00000/-	माताजी के नाम पर	नकद सन् 1992 में	-	

1- जो लागू न हो काट दीजिये।

2- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये

3- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी-

म.प्र.शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1559 के नियम 18(3) के अधीन प्रथमश्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें के उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा

हस्ताक्षर

R. Yadav

नाम

राकेश यादव

पद

सहायक वर्ग-3